FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री हरलाल सिंह कुड़ी मार्फत निर्मल बुक डिपो, इम्पलस कोचिंग के पास, पिपरली रोड, सीकर (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 82/2019
R.C.M.S. No. --2019/00216
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/07/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 31/07/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1899/100 26.7.19
31/7/19	अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे। इस न्यायालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को लिखा जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक सं० लो० सू० अ० / पु. अ० 20/2019/1360 दि० 30/7/19 के अवगत कराया कि उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। इस लिए अपील का निस्तारण करावे। लोकसूचना अधिकारी (ADM) पाली के अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है इस कारण इस अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील drop की जाती है। पत्रावली शामिल सिलसिला हो। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से खत्म हो। जिला कलेक्टर, पाली	